

भारतीय स्टेट बैंक

[नियम-8(1)] कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

अकोहलराजकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक प्राथमिक शाखा, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी की हस्तगत से विविध आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायकर्ता/जमानतदारों के स्वामी/सौदागरी/सिद्धि/सिद्धि एवं जमानतदार 1) श्री जगदीश सिंह सैनी पुत्र श्री त्रिलोक सिंह सैनी 2) श्री चरणजीत सिंह सैनी पुत्र श्री जगदीश सिंह सैनी 3) श्री लक्ष्मी सैनी पुत्र श्री जगदीश सिंह सैनी 4) त्रिलोक सिंह सैनी पुत्र श्री बी. वामू सिंह सैनी 5) श्रीमती अनिता सैनी पति श्री जगदीश सिंह सैनी 6) श्रीमती कल्पप्रतीव सैनी पति श्री चरणजीत सिंह सैनी 7) नेतर्स जी. पी. श्यामल प्र.सि. 8) नेतर्स सुपर आबलन एडवोकेट प्र.सि. को जारी नाम नोटिस दिनांक 15/03/2012 में उल्लिखित राशि रु. 40,19,50,646/- (रुपये बालीस करोड़ उनीस लाख पचास हजार रु. सौ छियासित मात्र) नोटिस की प्रतियों के दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आग्रह किया गया है।

उपायकर्ता/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान करने में असफल हो जाने पर उपायकर्ता/जमानतदारों एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अकोहलराजकर्ता द्वारा उक्त एक्ट धारा 13(4) नियम 8 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए/के अधीन, निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियों का सार्वजनिक कब्जा दिनांक 23/07/2012 को किया गया है।

उपायकर्ता/जमानतदारों को विशेष रूप से एवं सार्वसाधारण को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियों बाबत किसी भी प्रकार का सीधा/अध-विचार कोई व्यवहार न करें, और इस संघर्ष के कब्जे किये जाने कोई भी व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक प्राथमिक शाखा, रायपुर के स. 40,19,50,646/- (रुपये बालीस करोड़ उनीस लाख पचास हजार रु. सौ छियासित मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के अन्वयेन भार (Charge) होगा।

-:अचल सम्पत्तियों का विवरण:-

- 1) (अ) भूमि 3.81 एकड़, प्लॉट नं. 80 बी, 80 सी, 82 बी, एवं 82 सी, ग्राम सांभल, इंद्रप्रियंका एरिया सिलसरा केस 2, ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, सीएसआईडीसी द्वारा लीज पर, सैनी इंद्रप्रियंका के नाम पर.
- (ब) भूमि 3.91 एकड़, प्लॉट नं. 79 ई, 80 ए, 82 ई, एवं 82 डी, ग्राम सांभल, इंद्रप्रियंका एरिया सिलसरा केस 2, ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, सीएसआईडीसी द्वारा लीज पर, सैनी इंद्रप्रियंका के नाम पर.
2. आवासीय मकान एचआईवी-10, टाटीबंघ, ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल 321.47 वर्ग मीटर. संपत्ति के स्वामी का नाम श्रीमती अनिता सैनी पति श्री जगदीश सिंह सैनी.
3. भूमि (कुला प्लॉट) खसरा नं. 6304 (भाग), प.ह. नं. 103, मीणा जल्कवा (हीरापुर), ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल 4000 वर्ग फुट. संपत्ति के स्वामी का नाम श्रीमती अनिता सैनी पति श्री जगदीश सिंह सैनी.
4. भूमि (कुला प्लॉट) खसरा नं. 322, 332 एवं 342, ब्लॉक नं. 216, प्लॉट नं. 2, प.ह. नं. 104, मीणा जल्कवा, ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल 0.032 हेक्टेयर (309.12 वर्ग मीटर) संपत्ति के स्वामी का नाम श्रीमती अनिता सैनी पति श्री जगदीश सिंह सैनी.
5. भूमि (कुला प्लॉट) खसरा नं. 3858, 3859, 3851/0, 3848, 3808/0, मीणा पुरना, ग्रेन पार्क के पार, रानी दुर्गावती कॉर्ड नं. 45, प.ह. नं. 113, ताहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल 0.138 हेक्टेयर संपत्ति के स्वामी का नाम श्री जगदीश सिंह सैनी पुत्र श्री त्रिलोक सिंह सैनी.

प्राधिकृत अधिकारी
अकोहलराजकर्ता

नवभारत 31-07-2012
रायपुर

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्तित्व प्रबंधन शाखा, भोपाल

कब्जा नोटिस अचल सम्पत्ति हेतु नियम-8(1) (स्थायी सम्पत्ति हेतु)

जबकि, विहित आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एवं धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002-के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने हिनाण्ड (मांग) सूचना पत्र दिनांक 19.12.2011 को जारी किया जिसमें उधार लेने वाले ने, स्काटमैन एल्को शैव मिश्रास प्रा. लि. एवं जमानतदार श्री अनूप सहाय पुत्र श्री जी. एन. सहाय और श्रीमती सोनिकर सहाय पति श्री अनूप सहाय को नोटिस में उल्लिखित देय राशि रु. 1,47,00,068.38 (रुपये एक करोड़ सैतालिस लाख अड़सठ एवं पैसे अड़तीस मात्र) एवं उस पर दिनांक 20.12.2011 से देय ब्याज एवं खर्चा सहित इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था। लेकिन ऋणि/जमानतदारों ने जमा करने में विफल रहे हैं। उक्त राशि में दिनांक 19.12.2011 तक का ब्याज शामिल है। इसके बाद दिनांक 20.12.2011 से 31.12.2012 तक उक्त राशि जमा होने एवं देय ब्याज लगाने के बाद उक्त राशि में दिनांक 31.12.2012 को कब्जा राशि रुपये 1,66,60,322.66 (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख साठ हजार तीन सौ बाईस एवं पैसे छियासठ मात्र) के अन्वयेन भार (Charge) होगा। उक्त राशि में दिनांक 31.12.2012 को कब्जा राशि रु. 1,66,60,322.66 तथा उक्त राशि पर दिनांक 01.01.2013 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चा का भुगतान नहीं किया है।

ऋणी एवं जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं जमानतदारों को और अधिक जबरता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13(4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) एवं (9) के अधीन, निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियों का सार्वजनिक कब्जा दिनांक 23.07.2012 को किया गया है।

ऋणी एवं जमानतदारों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत किए गये कोई भी व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्तित्व प्रबंधन शाखा, भोपाल (म.प्र.) के रूपये 1,66,60,322.66 (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख साठ हजार तीन सौ बाईस एवं पैसे छियासठ मात्र) की राशि और उस पर दिनांक 01.01.2013 से देय ब्याज एवं खर्चा के अन्वयेन भार (Charge) होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 741/2, ग्राम-दुमरडीह, जिला - दुर्ग (छ.प्र.) में स्थित खुली खयवटक भूमि। क्षेत्रफल 1.05 एकड़। स्वामित्व - श्री अनूप सहाय पुत्र श्री जी. एन. सहाय। सीमाएं - उत्तर में - विकेटा की शैव भूमि, दक्षिण में - कच्चा रोड, पूर्व में - श्री संकल चतुर्वेदी की भूमि, पश्चिम में - विकेटा की शैव भूमि।

दिनांक : 23.01.2013
स्थान : दुमरडीह, दुर्ग
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्तित्व प्रबंधन शाखा, भोपाल

वैधानिक सूचना

ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, वे उपरोक्त राशि एवं उस पर देय ब्याज व खर्चों को भुगतान करें देवे अन्यथा उक्त वर्णित सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा उसके बाद सेव ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चा सहित ऋणी एवं जमानतदारों से की जायेगी।

दिनांक : 23.01.2013
प्राधिकृत अधिकारी